रजिस्ट्री सं० डी–(डी)–72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 4, 1976 फाल्गुन 14, 1897

No. 103] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 1976/PHALGUNA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. and T. Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March 1976

S.O. 162(E).—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 10-3-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Mohali Telephone Exchange, North Western Circle.

[No. 5-7/76-PHB]

S. N. RANGANATHAN,

Member (Telecom, Development) and *Ex-Officio*

Additional Secretary (Communications).

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1976

का० आ० 162(अ).—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार, डाक-तार महानिदेशक ने मोहाली टेलीफोन केन्द्र उत्तर पश्चिम सर्कल में दिनांक 10-3-76 से मापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-7/76-पी० एच० बी०]

एस० एन० रंगानाथन,
सदस्य (तकनीकी विकास),
पदेन अतिरिक्त सचिव (संचार)।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976